तारीख हुक्म	फर्द अहकाम (नियम 16) हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज विक्रमादित्य बनाम लोक सूचना अधि० (जिला रसद अधिकारी धौलपुर) (मु०संख्या 30/2023) प्रथम अपील, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जीसीएमएस न0 2023/87)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.11.2023	अपीलान्ट अनुपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अपीलान्ट की यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सहायक आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर के पत्र कमांक अपील संख्या/09/2023 दिनांक 26.09.2023 से इस कार्यालय को दिनांक 04.10.2023 को प्राप्त हुई है। अपीलान्ट द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी धौलपुर द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण प्रस्तुत की है। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी धौलपुर को अपील की प्रति भिजवाई जाकर उनसे टिप्पणी प्राप्त की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी धौलपुर ने अपने पत्र कमांकः रसद/आरटीआई/2023/4116 दिनांक 30.10.2023 के द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी/रिपोर्ट में अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गई सूचना, अपीलार्थी श्री विकमादित्य निवासी कांकरई कनसौदा को उनके कार्यालय के पत्र कमांक रसद/आर.टी.आई/2023/4024 दिनांक 16.10.2023 के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डांक से भिजवाई जा चुकी है जिसके पत्र की प्रति प्रस्तुत की है। अतः इस प्रकार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई बांछित सूचना अपीलान्ट को लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी धौलपुर के पत्र कमांक रसद/आर.टी.आई/2023/4024 दिनांक 16.10.2023 के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डांक से भिजवाई जा चुकी है। पत्र की प्रति संलग्न कर प्रस्तुत की है। प्रकरण में आगे कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रथम अपील, अपीलान्ट इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलान्ट को उपलब्ध कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो नम्बर से कम की जावे। (अनिल कुमार अग्रवाल) जिला कलक्टर	